2 जून से मप्र में स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं ठप

32 हजार संविदा कर्मी जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 29 मई प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार राकेश कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आगामी 2 जून से प्रदेश के करीब 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी

अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।

महापंचायत के फैसलों पर अमल न होने से आक्रोश:

संघ के जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में संविदा कर्मचारियों की महापंचायत आयोजित की गई थी। संघ की कार्यसमिति के निर्णय अनुसार अब चरणबद्ध आंदोलन के तहत 2 जून से काम बंद किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से एमएस खान, विजय भार्गव, आलोक जैन, पुष्पेंद्र सेंगर, प्रशांत सक्सेना, नीता शर्मा, मेघ सिंह बघेल, सोनेन्द्र जादौन, इमरान खान, आशीष गुप्ता, संदीप गुप्ता, रंजीता दिनेश शाक्य, मनीष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।

मेडसेव के अधिकारी बिजली कर्मियों को केसलेस बीमा पॉलिसी की जानकारी देंगे

ग्वालियर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ग्वालियर के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं उपाध्यक्ष एस एल शाक्य ने बताया कि विगत माह ऊर्जा मंत्री के सहयोग एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ग्वालियर के प्रांतीय अध्यक्ष एस के जायसवाल के प्रयास से सभी विद्युत कंपनियों के साथ मध्य क्षेत्र कंपनी में भी लागू हुई कैशलेस हेल्थ बीमा पॉलिसी की संपूर्ण जानकारी देने के लिए बीमा पॉलिसी एवं विद्युत कंपनी के मिडिएटर 'मेडसे' कंपनी के हेड, वाइस प्रेसिडेंट विनय कुमार रिछारिया 1 जून को ग्वालियर आ रहे हैं। उनके द्वारा रोशनी घर ग्वालियर स्थित श्रम कल्याण केंद्र में सायं 5 बजे एक प्रेजेंटेशन दिया जाकर कैशलेस हेल्थ बीमा पॉलिसी की विस्तृत जानकारी दी जाएगी जिसमें पॉलिसी का कार्ड इशू होना, अस्पताल की लिस्ट, बीमार होने पर अस्पताल में एडमिट होने की स्थिति में पहले व बाद की जानकारियां, किस-किस बीमारी का इलाज हो सकेगा, किस में कितना क्लेम मिलेगा, लिस्टेड हॉस्पिटल नहीं होने पर प्रतिपूर्ति की राशि कितनी मिलेगी, हेल्थ चेकअप, उसका तरीका आदि जानकारी रिछारिया द्वारा दी जाएगी।

ज्ञातव्य है कि विद्युत मंडल द्वारा विद्युत विभाग के नियमित कर्मियों एवं पेंशनर्स के लिए कैशलेस हेल्थ बीमा पॉलिसी लागू की गई है जिसके तहत 500 रुपए में 5 लाख एवं 1000 में 10 लाख एवं 2000 प्रति माह वेतन कटौती में 25 लाख की कैशलेस बीमा पॉलिसी मिलेगी। ग्वालियर क्षेत्र की सभी शाखाओं से कहा गया है कि वह हर शाखा से एक या दो की संख्या में इस प्रेजेंटेशन में आएं और विशेष जानकारी लेकर अपने क्षेत्र के पेंशनर्स को अवगत कराये।

मैच देखने उमड़ी दर्शकों की भीड़

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 29 मई. जन उत्थान न्यास के तत्वाधान में हो रहे विधायक प्रीमियर लीग 2026 रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आज 6

विधायक क्रिकेट प्रीमियर लीग

मैच एम.एल.बी कॉलेज के खेल मैदान में शाम 3:30 बजे से आयोजित किये गये। पहला मैच शाम 3:30 बजे वार्ड क्रमांक 56 की टीम 56/एम एवं टीम 56/पी के मध्य खेला गया। इसी क्रमशः में दूसरा मैच शाम 4:30 बजे वार्ड क्रमांक 25 की टीम 25/ए एवं टीम 25/बी के मध्य, तीसरा मैच शाम 5:30 बजे वार्ड क्रमांक 27 की टीम 27/सी एवं टीम 27/जी के मध्य, चौथा मैच शाम 6:30 बजे वार्ड क्रमांक 21 की टीम 21/डी एवं टीम 21/ई के

मध्य, पांचवा मैच शाम 7:30 से वार्ड क्रमांक 28 की टीम 28/एच एवं टीम 28/आई के मध्य एवं अंतिम छठवां मैच शाम 8:30 बजे वार्ड क्रमांक 45 की टीम 45/एच एवं टीम 45/आई के मध्य खेला गया। टूर्नामेंट के अंत में न्यासी आदित्य सिकरवार द्वारा दर्शकों के लिये लक्की ड्रा खोला गया जिसमें 30 दर्शकों को आकर्षक उपहार दिए गए। मैच देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। रोमांच से भरे मैच में कई टीमें अगले दौर में बढ़ रही हैं।

मैच की शुरूआत में टूर्नामेंट के आयोजक, न्यास के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. सतीश सिकरवार ने अतिथियों के साथ टीमों से परिचय किया और टीमों को शुभकामनाएं दीं।

आज शाम एम.एल.बी मैदान पर पहला मैच वार्ड क्रमांक 56 की टीम 56/एम एवं टीम 56/पी के मध्य खेला गया।

टीम 56/पी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 8 ओवर में 112 रन बनाये। जिसके विरूद्ध टीम 56/एम ने 8 ओवर में 50 रन बनाये और मैच हार गई।

मैन ऑफ द मैच साहिल को मिला। दूसरा मैच वार्ड क्रमांक 25 की टीम 25/ए एवं टीम 25/बी के मध्य खेला गया। टीम 25/ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 8 ओवर में 58 रन बनाये। जिसके विरूद्ध टीम 25/बी ने 3 ओवर 2 बॉल में 61 रन बनाये और जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच कुलदीप को मिला।

जैन मिलन युगल नेमिनाथ शिविर में बच्चों को दे रहे सीख

ग्वालियर। भारतीय जैन मिलन क्षेत्रीय क्रमांक 2 के अंतर्गत जैन मिलन युगल नेमिनाथ ग्रेटर ग्वालियर के तत्वाधान में दाना ओली स्थित दिगंबर पार्श्वनाथ नये मंदिर में आठ दिवसीय श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण चल रहा है। वहीं शिविर के आज चौथे दिन शुक्रवार को शिविर की विद्वान मंजू जैन ने कहा कि बच्चे, महिलाएं और शिवार्थियों को मोटिवेशन से हमारे जीवन में संगति कैसी होना चाहिए पर प्रकाश डालकर उनसे प्रश्न पूछकर पुरस्कार से अतिथियों से सम्मानित किया। शिविर में प्रतिदिन बच्चों अलग अलग ज्ञान वर्धक मोटिवेशन प्रशिक्षण देने अतिथि पधार रहे हैं।

श्री भागवत कथा से सत्य, त्याग व धर्म के मार्ग की प्रेरणा : देवी मंजूलता

भागवत कथा श्रवण से मनुष्य का होता है कल्याण : अशोक जैन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 29 मई। ग्राम बेंदी पुरा सरकार धाम मंदिर परिसर में सात दिवसीय भगवत कथा का आयोजन किया गया। कथा वाचक भागबताचार्य डॉ. देवी मंजू लता शास्त्री (अयोध्या धाम) के मुखारविंद से हुई श्री भागवत कथा मे देवी मंजूलता ने गोवर्धन लीला के साथ भगवान श्रीकृष्ण की बाल

लीलाओं का प्रसंग सुनाया। उन्होने कहा कि भागवत कथा से सत्य, त्याग व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।सर्वप्रथम भागवत कथा के परीक्षित श्रीमती ललित लोकेंद्र सिंह एवं श्रीमती प्रीति डॉ. शैलेंद्र सिंह राजपूत ने पोथी पूजन कर आरती की।

आज की कथा में मुख्य अथिति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक जैन थे। उन्होंने कहा कि भागवत कथा श्रवण से मनुष्य का कल्याण होता है। अशोक जैन एवं विशेष अथिति भारतीय जनता पार्टी जिला ग्वालियर ग्रामीण के पूर्व महामंत्री दीपक माहौर, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी पंडित पंकज पाठक, शिव सिंह बघेल, समाजसेवी देवी सिंह लोधी, वरिष्ठ युवा नेता शुभम सिंह लोधी थे।

14 के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

ग्वालियर 29 मई । चौदह आदतन आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इनमें से 6 आरोपियों को जिला बदर कर दिया गया है। इसी तरह 8 अन्य आरोपियों को सदाचार बरतने के लिये संबंधित पुलिस थाने में 50 - 50 हजार रूपए का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए गए हैं।

कार्यालय,म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग मुरैना

क्रमांक-1730...मुरैना
दिनांक-29/05/2026

सार्वजनिक सूचना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्र. ईडब्ल्यूएस-24 पुरानी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी जौराखुर्द मुरैना जो कि श्री हनुमान सिंह आमेरा पुत्र स्व. श्री जुगलकिशोर सिंह को आवंटित किया गया था। इनके द्वारा श्रीमती केतकीबाई पत्नी स्व. श्री विशनस्वरूप को उक्त भवन का विक्रय कर दिया गया। इनके द्वारा मंडल में नामांतरण नहीं कराया है एवं श्रीमती केतकीबाई की मृत्यु दिनांक-23.11.2025 को हो गई एवं इनके पति विशनस्वरूप की भी मृत्यु दिनांक 07.08.1982 को हो चुकी है। तत्पश्चात उक्त भवन को स्व. श्रीमती केतकीबाई के वारिसगण पुत्र/पुत्रियों श्रीमती अनीता गर्ग पत्नी पवन कुमार गर्ग, सुश्री प्रीति बंसल पुत्री स्व. श्री विशनस्वरूप बंसल, श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल, श्री दीपक बंसल पुत्र स्व. श्री विशनस्वरूप बंसल एवं श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री आशीष अग्रवाल द्वारा मंडल में नाम नामांतरण/हस्तांतरण कराने हेतु आवेदन किया है। जो कि इस कार्यालय में विचाराधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस बावत प्रतिवेदन इस कार्यालय में इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें, निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं मण्डल के नियमानुसार भवन/भूखण्ड हस्तांतरण/नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

सम्पदा प्रबंधक
म.प्र.गृ.नि.एवं अधो. विकास मण्डल
संभाग-मुरैना म.प्र.

आम सूचना

श्री बालकिशन जाटव पुत्र स्व. श्री देवीराम जाटव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित लाहौरी का पुरा, ग्राम डोमपुरा, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.44 (सरदार पटेल वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.56/1 ग्राम डोमपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में-भूमि विक्रेता, पश्चिम में-भूखण्ड राहुल बंसल, उत्तर में-भूखण्ड अतर सिंह एवं दक्षिण में-रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री शिव सिंह पुत्र श्री बदले एवं गुड्डी पुत्री श्री बदले एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री शिव सिंह द्वारा सम्पत्ति 0.105 हैक्टेयर एरिया श्री कमल सिंह सिकरवार पुत्र स्व. श्री रामहेत सिंह सिकरवार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792020 ए1091590 दिनांक 05.02.2020 से विक्रय की गई। श्री कमल सिंह सिकरवार द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री बालकिशन जाटव पुत्र स्व. श्री देवीराम जाटव को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792022 ए11231839 दिनांक 09.12.2022 से विक्रय की गई। श्री बालकिशन जाटव द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान गृहम हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित-निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.),
मो.नं. 98276-72710

In The Court Of District and Session Judge, District Court, Morena
Presiding Officer : श्रीमती संगीता मदान

आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु
(MCA/0000020/2026)
सुनीता शर्मा.....वादी
Vs
सर्व साधारण.....प्रतिवादी
Process id-/2026
पेशी दिनांक :- 10/07/2026

प्रेषिती-
(1) सर्व साधारण पता-तहसील व जिला मुरैना एमपी
यह कि प्रार्थी सुनीता शर्मा ने आपके विरुद्ध अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 आर व धारा 151 जादी के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 06 May 4 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा
न्यायाधीश
(श्रीमती संगीता मदान)
प्रधान जिला न्यायाधीश
मुरैना म.प्र.
जिला मुरैना (म.प्र.)

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-दिसंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति, फीनिक्स आर्क लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिए हैं, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - ट्रस्ट एफवाय 26-14 (फीनिक्स) सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अतः, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्रीमती प्रियंका लोधी श्री अमृत लाल लोधी (ऋण खाता संख्या: आईएल10383576)	यूनिट संख्या 2005, ईडब्ल्यूएस स्लम, मंजिल 0, आवासीय टाउनशिप, मानपुर गिरि, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 474001 में गिरवी रखी गई संपत्ति का पूरा हिस्सा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल: 540.00, 375.00	रुपये 213062/- (रु. दो लाख तेरह हजार बांसठ मात्र)	03/11/2025	26/05/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है संपत्ति.

स्थान: ग्वालियर, दिनांक 30-5-2026 | हस्ता. अधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्रमांक-U67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रमांक 20 वार्ड 51 भवन क्रमांक 306 स्थान सिद्ध नाथ की बगिया घोसी बाड़े के पास हैदरगंज मामा का बाजार लश्कर ग्वालियर पर स्थित है जो कि मंशाराम शर्मा/ रामचरण लाल शर्मा के नाम से नगर निगम में नई आई डी 10003 28663 पर दर्ज है जिसका क्षेत्रफल 659.94 वर्ग फुट है उक्त संपत्ति को रजिस्टर्ड विक्रय क्रमांक 993/88-89 दिनांक 3-5-1989 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त संपत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयो की पूर्ति संपत्ति कर एवं अन्य उपक्रम की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केंद्र सिंधी कॉलोनी के क्षेत्र क्रमांक 20 पर दिनांक 18-5-2026 को किया गया है जिसका आवेदन क्रमांक 74/2010/655 66/65628 प्र. क्रमांक 3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर में स्थित संपत्ति कर विभाग क्रमांक 202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि. में लिखित में अपनी आपत्ती मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें, नियम अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी उक्त कार्यालय द्वारा युक्ति युक्त निर्णय दिया जावेगा

विज्ञप्ति जारी दिनांक :- 29/05/2026
आवेदक का नाम /पता
विजय कुमार शर्मा / श्री मंशाराम शर्मा, अजय कुमार शर्मा / मंशाराम शर्मा
पता, सिद्ध नाथ की बगिया घोसी बाड़े के पास हैदरगंज मामा का बाजार लश्कर ग्वालियर मो. 7000221345

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मिताली निगड़ीकर पत्नी प्रशान्त निगड़ीकर के स्वामित्व का एक प्लेट क्रं. 101 जो बहुमंजिला भवन के प्रथम तल पर स्थित है, जिसकी म्यु. आई.डी. क्रं. 9000195527, म्यु. क्रं. 29/947 बाद 42/1126, स्थित खाते वाली गली, जनकगंज, वार्ड क्रं. 42, लश्कर, ग्वालियर में है, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफूट है, जिसकी चतुरसीमा निम्न प्रकार है : पूर्व में - भवन नितिन भोयटे, पश्चिम में - शामलाती पैसेंज, जीना बाद में भवन सुमन गर्ग, उत्तर में - भवन माखनलाल बारू, दक्षिण में - भवन श्रीमती ऊषा दण्डौतिया, उक्त सम्पति को श्रीमती मिताली निगड़ीकर ने वि.प.पं.दि. 25/07/2022 के द्वारा अभिनन्दन जैन पुत्र स्व. रिखबचन्द जैन से क्रय किया है। अभिनन्दन जैन को उक्त सम्पति उनके पिता रिखबचन्द जैन से जरिये वसीयत्नामा दि. 19/01/2017 के द्वारा रिखबचन्द जैन की मृत्यु के पश्चात् वसीयतानुसार प्राप्त हुई थी। रिखबचन्द जैन ने उक्त सम्पति को वि.प.दि. 26/09/2012 के द्वारा श्रीकृष्ण खण्डेलवाल पुत्र स्व. रामचन्द्र दास खण्डेलवाल से क्रय किया था। उक्त सम्पति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु श्रीमती मिताली निगड़ीकर ने वित्तीय संस्था में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः कोई व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, प्रायवेट फाइनेंसर, उपरोक्त सम्पति में अपना हक, अधिकार, ऋणभार, जमानत सम्बन्धि भार, अनुबंध रखता हो या स्व. रिखबचन्द जैन के उपरोक्त विक्रेता के अलावा अन्य कोई विधिक् उत्तराधिकारी हो या स्व. रिखबचन्द जैन ने अपने जीवनकाल में कोई उपरोक्त वसीयत्नामे के अलावा अन्य कोई वसीयत्नामा निष्पादित किया हो या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित किया हो या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दखल उपरोक्त सम्पति में रखता हो तो उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में मय दस्तावेजों के हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में अपत्ति प्रस्तुत करें, 7 दिवस पश्चात् श्रीमती मिताली निगड़ीकर का आवेदन वित्तीय संस्था के नियमों के अनुसार सही पाया जाता है तो वित्तीय संस्था उपरोक्त सम्पति को बंधक रखकर श्रीमती मिताली निगड़ीकर को ऋण प्रदान कर देगी। उसके पश्चात् प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण का भार उपरोक्त सम्पति पर सर्वप्रथम व एक मात्र होगा।

प्रेषक: **कौशल पाराशर** एवं **सुमित तिवारी**, (एडवोकेट्स)
कार्यालय - स्व. श्री ओ. पी. शर्मा, एडवोकेट, जस्टिस हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी, महादजी पार्क, लश्कर, ग्वालियर, मोबा: 0751-2323555, 9893114325

आम सूचना

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शमीम खान पत्नी राशिद खान ने एक द्वितीय तल दुकान जो एक व्यवसायिक भवन 'स्टार प्लाजा', कम्पू रोड़, बैकुंठ आश्रम गली, चिटनीस की गोठ, लश्कर, ग्वालियर में है, जिसका क्षेत्रफल 22.02 वर्ग मीटर है, जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है : पूर्व में - दुकान क्रं. 10, पश्चिम में - दुकान क्रं. 08, उत्तर में - सम्पति श्री जय जगदम्बा कन्सट्रक्शन, दक्षिण में - रास्ता आम, को क्रय करने का अनुबंध सम्पति स्वामी, हरिओम लालवानी पुत्र अर्जुन दास लालवानी एवं श्रीमती रेनू लालवानी पत्नी हरिओम लालवानी से किया है। हरिओम लालवानी एवं श्रीमती रेनू लालवानी ने सम्पति को वि.प.पं.दि. 01/11/2018 के द्वारा संजय कुमार जैन एवं विनय कुमार जैन पुत्रगण रमेश चन्द जैन से क्रय किया है। संजय कुमार जैन एवं विनय कुमार जैन ने उक्त सम्पति को वि.प.पं.दि. 26/03/2017 के द्वारा सेवाराम ढींगरा पुत्र स्व. गुलाबल ढींगरा एवं पवन कुमार ढींगरा पुत्र सुगनामल ढींगरा से क्रय किया था। सेवाराम ढींगरा एवं पवन कुमार ढींगरा ने उक्त सम्पति को वि.प.पं.क्रं. 3272(ग) पं.दि. 30/03/2012 के द्वारा मैसर्स श्री. जय जगदम्बा कन्सट्रक्शन द्वारा पार्टनर राजेन्द्र सेठ व अन्य से क्रय किया था। वर्तमान सम्पति स्वामियों के अनुसार, उपरोक्त वर्णित असल वि.प.पं.क्रं. 3272(ग) पं.दि. 30/03/2012, कही गुम हो गया है। यह कि, शमीम खान ने उपरोक्त सम्पति को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु वित्तीय संस्था में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः कोई व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, प्रायवेट फाइनेंसर, उपरोक्त सम्पति में अपना हक, अधिकार, ऋणभार, जमानत सम्बन्धि भार, अनुबंध रखते हो या उपरोक्त वर्णित पूर्व असल वि.प.पं.क्रं. 4502 पं.दि. 05/10/1973 के वर्तमान सम्पति स्वामियों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक या प्रायवेट फायनेन्सर के यहाँ बंधक रखकर ऋण लिया हो या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दखल उपरोक्त सम्पति में रखता हो या स्व. अमीबिन्दु टण्डन के अजय कुमार टण्डन के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी हो या स्व. अमीबिन्दु टण्डन ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयतनामा निष्पादित किया हो तो, उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में मय दस्तावेजों के हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें, 07 दिवस पश्चात् उपरोक्त सम्पति का विक्रय पत्र क्रेता द्वारा अपने हित में निष्पादित करा लिया जायेगा, उसके पश्चात् प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी तथा उपरोक्त सम्पति को बंधक रखकर वित्तीय संस्था द्वारा क्रेता को ऋण प्रदान कर दिया जायेगा। वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण का भार उपरोक्त सम्पति पर सर्वप्रथम व एकमात्र होगा।

प्रेषक: **कौशल पाराशर** एवं **सुमित तिवारी**, (एडवोकेट्स)
कार्यालय - स्व. श्री ओ. पी. शर्मा, एडवोकेट, जस्टिस हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी, महादजी पार्क, लश्कर, ग्वालियर, मोबा: 0751-2323555, 9893114325

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुलदीप मिश्रा पुत्र सुमन कुमार मिश्रा ने एक भवन जो भूखण्ड क्रं. 30 एवं भूखण्ड क्रं. 29 के भाग, ब्लॉक - ए, पर निर्मित है, जिसक क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट है, स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी, वार्ड क्रं. 21, गोसपुरा, ग्वालियर में है। जिसकी चतुर्सीमा निम्न प्रकार है : पूर्व में - भूखण्ड क्रं. 28 एवं भूखण्ड भाग क्रं. 29,ए पर निर्मित भवन, पश्चिम में - भूखण्ड क्रं. 28 एवं भूखण्ड भाग क्रं. 29,ए, उत्तर में - रास्ता आम, दक्षिण में - भूखण्ड क्रं. 29ए का भाग, को क्रय करने का अनुबंध सम्पत्ति स्व